

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक-विद्या/ई/०६/२००९/१०६
प्रति,

भोपाल, दिनांक २०-२-०९

समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश.
2- समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश.
विषय- वर्ष 2008-09 के बजट आवंटन के विरुद्ध बचत को राशि समर्पित
करने बाबत।
सन्दर्भ- संचालनालय के बजट कक्ष का पत्र
क्रमांक-बजट/ए/२००८-०९/१२३७ दिनांक-१८/२/२००९.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, तदनुसार बचत राशि
तथा उपयोग न की गई राशि के समर्पण के संबंध में निर्देश दिये गये है, उल्लेखनीय
है कि विद्या कक्ष (स्थानीय) द्वारा निम्नांकित वंटन जारी किये गये है :-

संक्र०	बजट शीर्ष एवं योजना का नाम	बंटन आदेश क्रमांक/दिनांक	आवंटित कुल राशि	रिमार्क
01	1815-डकैतों तथा उनके द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति	विद्या/१३-०९. ०१.०९	४५,०००/-	
02	३५८७-मृत/अपंग/से०नि० कर्म०के बच्चों को एवं पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति	विद्या/२०७४-० १.१०.०८	१,३५,०००/-	समस्त सं०सं०
03	४३१८-संस्कृत परिषद,छतरपुर एवं अन्य शालाओं को अनुदान	सं०प्र०/०५-०९. ०१.०९	२,२५,००,०००/-	
04	२४१४,२२६७,५६७५-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	विद्या/४१-१९. ०१.०९	१,५०,००,०००/-	समस्त डीईओ
05	५५४१-शैक्षिक अभ्युत्थान(परिवहन व्यवस्था)	विद्या/८९-२५. ६.०८	३७,४९,९९०/- १२,५०,०१०/-	प्रत्येक जिला ८७,२०९/- समस्त सं०सं०
06	५५४१-शैक्षिक अभ्युत्थान(प्रशिक्षण)	विद्या/२०८०-० ९.०९.०८	८१,००,०००/-	समस्त डीईओ
07	५५४१-शैक्षिक अभ्युत्थान (सी०डी०चार्ट शैक्षणिक सामग्री)	विद्या/०७-०७. ०१.०९	१,२४,५०,०००/-	समस्त डीईओ
08	५५४१-शैक्षिक अभ्युत्थान(सहायक)	विद्या/३५-१६.	४८,००,०००/-	समस्त


(Handwritten Signature)

	अनुदान)	01.2009 22,99,200 / -	डीईओसमस्त सं०स०
09	5627-सामान्य निर्धन वर्ग हेतु शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति	विद्या/2072-0 1.10.08	001-शिष्यवृत्ति-1,1 0,00,000 / -002- छात्रवृत्ति-90,00,00 0 / -	समस्त सं०स०

उक्त तालिका अनुसार राशि प्रदाय की गई है। अनेक जिलों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शैक्षिक अभ्युत्थान अंतर्गत सी०डी० चार्ट, शैक्षिक सामग्री मद में वंटित की गई राशि एवं अन्य मदों में दी गई राशि का आहरण/उपयोग नहीं किया जा सका है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिलों में शेष राशि/अप्रयुक्त राशि कोषालय सर्वर में समर्पण कर समर्पण का आई०डी० प्रमाण-पत्र प्राप्त कर राशि व आई०डी० क्रमांक लोक शिक्षण संचालनालय को निश्चित समयावधि 28 फरवरी, तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि किसी भी मद की राशि व्यपगत (लेप्स) होती है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(डॉ० कौशल किशोर पाण्डेय)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश